फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम अशोक / राज० सरकार

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 223/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.9.21	दावा अधिवक्ता श्री प्रतीक प्रसाद शर्मा द्वारा पेश किया गया। दर्ज रजिस्टर कर तलबी की जावे। वास्ते इन्तजार तामील दि० 27.10.21 को पेश हो। Sd/-	
7.10.21	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०/जवाब state प्राप्त। बहस हेतु 2.11.21 को पेश हो। Sd/-	
11-21	पत्रावली पेश। बहस दावा सुनी गयी। वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया। वाद अनुसार वादीगण के पिता जगदीश जांगिड़ को ग्राम लाड़पुरा उर्फ अट्टा में दि. 8.5.1986 को 2.10 बीघा (2 बीघा 10 बिस्वा) भूमि आवंटित की गयी। वादीगण उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहते हैं। जवाब स्टेट दि. 26.10.21 में भूमि आवंटित होना स्वीकार किया गया। आवंटित भूमि की खातेदारी तीन वर्ष के भीतर दिये जाने का प्रावधान है। अतः ग्राम लाड़पुरा उर्फ अट्टा के नये ख. नं. 47 (साबिक ख. नं. 31/1) में 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार आवंटी जगदीश जांगिड़ को, आवंटन आदेश दि. 8.5.1986 के अनुसरण में, खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बहरावण्डा ~~[illegible]~~ समस्त बकाया राशि, यदि कोई हो तो, के जमा करवाने के पश्चात, आदेशानुसार खातेदारी व विरासतन नामान्तरण दर्ज करें। मुताबिक आदेश डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। Sd/- (रणजीत सिंह) 2-11-21 उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	